जनपदपारा एवं नया जनपदपारा, भोपालपटनम में विद्युत लाईन विस्तार कार्य हेतु अन्य आवश्यक विशेष नियम व शर्ते

01. ठेकेदार द्वारा विगत तीन वर्षो मे कम से कम निविदा हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार हेतु निविदा लागत की सीमा के समान प्रकृति के निर्माण कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। जिसका प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र लेने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा प्रमाण पत्र संबंधित निर्माण एजेंसी के कार्यपालन अभियंता/अधिकारी का ही मान्य होगा ।

02. निर्माण कार्य अनुबंध दिनॉक से दिए गए समय सीमा के अंदर पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।

03. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि की संध्या 5.00 बजे तक या किसी भी कार्य दिवस में संबंधित नियमानुसार भुगतान व उपरोक्त शर्तो के वैध प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही दिये जायेंगे। भरे गये सीलबंद निविदा प्रपत्र कार्यालय में रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.)/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना होगा । निर्धारित दिनॉक/समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा प्राप्त निविदायें निर्धारित समय पश्चात् उसी कार्यालयीन दिवस में अपरान्ह 3.30 बजे खोली जायेगी । शासकीय अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में खोली जा सकेगी।

04. ठेकेदार द्वारा एस.ओ.आर. से असंतुलित दर भरे जाने की स्थिति मे अनुबंध के पूर्व अंतर की राशि एफ.डी.आर के रूप में कलेक्टर, जिला बीजापुर के पास जमा करना होगा ।

05. ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य यदि एक वर्ष के पूर्व खराब होता है तो, किए गए कार्य की लागत वसूली योग्य होगी। उक्त खराब कार्य ठेकेदार को पुनः उसके व्यय पर कराना होगा।

06. जिला निर्माण समिति के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार/निरस्त कर सकता है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर, जिला बीजापुर का निर्णय मान्य होगा ।

07. धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कार्य की कार्यादेश जारी किया जा सकेगा ।

08. पूर्ण भरे हुए निविदा प्रपत्र एवं अमानत राशि पृथक–पृथक लिफाफे में उपरोक्तानुसार तिथि तक पंजीकृत पावतीयुक्त या स्पीड पोस्ट से प्राप्त किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा ।

09. निविदा उपरोक्तानुसार तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित ठेकेदारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी ।

10. विद्युत लाईन शिफ्टिंग कार्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अनुरूप विभाग के मार्गदर्शन पर किया जावेगा।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला निर्माण समिति
जिला बीजापुर